डीजी परिपत्र संख्या -52 /2016

**जावीद अहमद,**
आई0पी0एस0

**पुलिस महानिदेशक,**
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।
दिनांकः लखनऊः अगस्त 24 2016

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत हों कि प्रदेश में गुमशुदा /अपहृत नाबालिग बच्चों की बरामदगी हेतु आप सभी को पार्श्वांकित परिपत्रों द्वारा समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये हैं। ऐसे प्रकरणों में अपनायी जाने वाली एस0ओ0पी0 (Standard Operating Procedure) का विस्तृत विवरण भी इन परिपत्रों में दिया गया है। आप सभी से अपेक्षा की गयी थी कि इन परिपत्रों का अनुपालन कर गुमशुदा/अपहृत नाबालिग बच्चों की बरामदगी सुनिश्चित करायेंगे तथा इन प्रकरणों में दोषी पाये गये अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करायेंगे। इसके अतिरिक्त समय- समय पर भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों पर ऑपरेशन स्माइल एवं ऑपरेशन मुस्कान भी चलाये गये हैं। प्रदेश के कतिपय जनपदों में इन अभियानों के अन्तर्गत काफी उल्लेखनीय कार्य हुए, परन्तु समस्त प्रयासों के बावजूद प्रदेश स्तर पर अब भी काफी अधिक संख्या में नाबालिग बच्चों की बरामदगी शेष है। ऐसे प्रकरणों में बच्चों के माता-पिता द्वारा मा0 न्यायालय की शरण ली जाती है, जिसमें मा0 न्यायालय के समक्ष पुलिस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। विगत दिनों मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनपद बरेली एवं जनपद बस्ती में नाबालिग बालिकाओं के अपहरण/गुमशुदगी के प्रकरण में अब तक हुई पुलिस कार्यवाही पर असन्तोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं अधोहस्ताक्षरी को अपने व्यक्तिगत शपथ पत्र के माध्यम से मा0 न्यायालय को यह अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं कि जब पुलिस द्वारा गुमशुदा नाबालिग लड़कियों की बरामदगी करने में असमर्थता प्रकट की जाती हो, तो ऐसी स्थिति में शासन और पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उक्त आदेश का मुख्य अंश निम्नवत् हैः-

1. डीजी परिपत्र संख्या : 31/2012 दिनांक 20.04.2012
2. डीजी परिपत्र संख्या : 24/2012 दिनांक 05.07.2012
3. डीजी-सात-एस-3(229)/2010 पार्ट-2, दि0 05.12.13
4. परिपत्र संख्याः 11/2013 दिनांकः 09.04.2013
5. परिपत्र संख्याः 12/2013 दिनांकः 11.04.2013
6. परिपत्र संख्याः 06/2013 दिनांकः 02.02.2013
7. डीजी-सात-एस-3(23)/2012 दि0 13.01.2013
8. परिपत्र संख्याः 08/2016 दिनांकः 16.02.2016

"The Chief Secretary and the D.G.P., U.P., Lucknow are directed to file their affidavits that as to what steps are being taken by them in such type of cases where the minor girls are missing and the police shows helpessness."

स्पष्ट रूप से मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा गुमशुदा/अपहृत नाबालिग बालिकाओं के प्रकरण को गम्भीरता से लिया जा रहा है। गुमशुदा/अपहृत नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी न हो पाना चिन्ता का विषय है। आप सहमत होंगे कि गुमशुदा/अपहृत नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी हेतु सभी सम्भावित उपाय/प्रयास किये जाने के लिए पुलिस उत्तरदायी है एवं किसी भी स्थिति में पुलिस द्वारा नाबालिग बालिकाओं की बरामदगी में असमर्थता प्रकट किया जाना कतिपय उचित नहीं है।

नाबालिग बालिकाओं/बालकों की बरामदगी हेतु उपरोक्त पार्श्वांकित परिपत्रों के क्रम में आपको निम्न निर्देश दिये जाते हैं:-

- जे0जे0 एक्ट के अन्तर्गत सभी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिग मान कर कार्यवाही की जाये।

- नाबालिग बच्चों के गुमशुदा होने के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि इस प्रकार के प्रकरणों को प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध के रूप में ही व्यवहारित किया जायेगा। स्पष्ट रूप से प्रत्येक खोये हुए बच्चों के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा-363 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज की जानी चाहिए। यदि शिकायतकर्ता का यह स्पष्ट आरोप है कि बच्चे का अपहरण किसी अपराध घटित करने के उद्देश्य से हुआ है, तो सन्दर्भित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जायेगा। थाना स्तर पर किसी भी शिकायतकर्ता को यह परामर्श नहीं दिया जायेगा कि वह बच्चे को स्वयं ढूढ़ लें। शिकायतकर्ता की बात को गम्भीरता एवं संवेदनशीलता से सुनकर तद्नुसार मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
- गुमशुदा बच्चों से सम्बन्धित अपराध स्पेशल रिपोर्ट केस माने जायेंगे। मुकदमा दर्ज होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी बच्चे के समस्त विवरण के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, विशेष कल्याण पुलिस इकाई (SJPU) तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी को 24 घण्टे के अन्दर भेजी जायेगी। जिस जनपद में एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) स्थापित है, तो यह सूचना उस इकाई को भी दी जायेगी।
- मुकदमें की विवेचना में इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 12/2013 दिनांकः 11.04.2013 एवं उपरोक्त पार्श्वांकित अन्य परिपत्रों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। उक्त परिपत्रों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात् भी अगर बच्चे की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी 06 माह के अन्दर न हो तो विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को हस्तान्तरित की जाये और इस विवेचना का पर्यवेक्षण जनपद के क्राइम ब्रान्च के अपर पुलिस अधीक्षक अथवा अधिकार क्षेत्र के सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा। क्षेत्राधिकारी की सहायता हेतु आवश्यकतानुसार योग्य/अनुभवी अधिकारी/कर्मचारियों की एक टीम लगायी जायेगी।
- क्षेत्राधिकारी विवेचना के प्रत्येक पहलू की समीक्षा करेंगे तथा प्रारम्भ से अब तक हुई विवेचना की समीक्षा कर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः 12/2013 दिनांकः 11.04.2013 का अनुपालन विवेचक द्वारा किया गया है और यदि किसी बिन्दु पर कार्यवाही नहीं की गयी है, तो वे यह कार्यवाही पूर्ण करायेंगे।
- अपर पुलिस अधीक्षक बच्चों की गुमशुदगी की परिस्थितियों, इनके सम्भावित कारणों तथा इसमें अपराधियों की संलिप्तता इत्यादि की समीक्षा कर विवेचक को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करेंगे।
- यदि नये सिरे से क्षेत्राधिकारी के प्रयास किये जाने के पश्चात् भी 03 माह तक बच्चे की बरामदगी नहीं हो पाती है तो ऐसे प्रकरण की समीक्षा जनपद के पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे। पुलिस अधीक्षक अपनी समीक्षा में प्रमुख रूप से यह देखेंगे कि सम्पूर्ण प्रकरण में किये गये प्रयास दिये गये निर्देशों के अनुसार हैं अथवा नहीं और यदि किसी स्तर पर पुलिस कार्यवाही में कोई लापरवाही हुई है तो दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- यदि पुलिस अधीक्षक अपनी समीक्षा से यह पाते हैं कि प्रकरण में किसी का कोई दोष नहीं है और पर्याप्त एवं सार्थक प्रयास किये जाने के बावजूद भी बच्चे की बरामदगी नहीं हो सकी हो तो भविष्य में विवेचना जारी रखने अथवा पतारसी/सुरागरसी जारी रखते हुए विवेचना बन्द करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे। किसी भी दशा में विवेचना बन्द करने का निर्णय जनपदीय पुलिस अधीक्षक स्तर के नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं लिया जायेगा।
- जिन प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक द्वारा विवेचना बन्द करने का निर्णय लिया जाता है उसकी सूचना जनपद के प्रत्येक थाने, आस-पास के जनपदों के थानों एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई को इस आशय से प्रेषित की

जायेगी कि वह गुमशुदा बच्चे की भविष्य में बरामदगी हेतु अभिसूचना संकलित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अधीक्षक द्वारा गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में सूचना देने वालों को पर्याप्त इनाम दिये जाने की घोषणा भी करायेंगे।

- आस-पास के जनपदों, जनपदों के थानों अथवा स्थानीय अभिसूचना इकाई अथवा जनता के किसी व्यक्ति से गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होने पर सूचना को विकसित कर बच्चे को बरामद करने का प्रसास किया जाये। इस हेतु मा0 न्यायालय से आदेश लेकर पुनः विवेचना प्रारम्भ की जाये।
- उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रत्येक तीन माह में बरामद न हो सके बच्चों को ढूढ़ने हेतु अभियान चलाकर प्रयास करेंगे। इस हेतु जनपद स्तर पर टीमें गठित कर इन्हें बच्चों की बरामदगी का दायित्व दिया जाये।
- परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक प्रतिवर्ष कम से कम 03 बार गुमशुदा/अपहृत बच्चों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की गहन समीक्षा करेंगे तथा पुलिस अधीक्षक के प्रयास का ऑकलन कर उनके वार्षिक गोपनीय मन्तव्य में इस कार्य के प्रति दिखायी गयी रूचि के सम्बन्ध में टिप्पणी करेंगे।
- जोनल पुलिस महानिरीक्षक वर्ष में 01 बार उपरोक्तानुसार समीक्षा करेंगे।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर गुमशुदा/अपहृत बच्चों की बरामदगी कर अभियुक्तो के विरूद्ध कार्यवाही के सार्थक प्रयास करें और इस तरह के अपराध को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय

24.8.16

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

**प्रतिलिपि**-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2.पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
3.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4.पुलिस महानिरीक्षक एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।